राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर, छ.ग.

क्रमांक 946 /वि–9/बैठक/SLNA/12 रायपुर, दिनांक 08/10/2012

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन, मंत्रालय, रायपुर,
4. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन कृषि सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर,
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन वन विभाग, मंत्रालय रायपुर,
6. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मंत्रालय, रायपुर,
7. डॉ. सी.पी.रेड्डी, उपायुक्त, भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली,
8. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर,
9. आयुक्त, पंचायत, मंत्रालय, परिसर, रायपुर,
10. राष्ट्रीय वर्षाजनित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA के प्रतिनिधि, नई दिल्ली,
11. महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, फाफाडीह चौक, रायपुर,
12. निदेशक केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, रीना आपर्टमेंट, पचपेढ़ीनाका, रायपुर,
13. संचालक अनुसंधान सेवाएं, इं.गा.कृ.वि.वि. रायपुर,
14. संचालक, विस्तार सेवाएं, इं.गा.कृ.वि.वि. रायपुर,
15. डॉ. ए.एल.राठौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक (इं.गा.कृ.वि.वि.) रायपुर।

विषय :– SLNA की पंचम् बैठक दिनांक 01.10.2012 का कार्यवाही विवरण।

———

विषयांतर्गत मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की पंचम् बैठक दिनांक 01.10.2012 का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण।

(आर.के. सिंह)
CEO-SLNA
विकास आयुक्त कार्यालय,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 947/वि–9/बैठक/SLNA/12 रायपुर, दिनांक 08/10/2012

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर सह अध्यक्ष जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC), जिला समस्त, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण।

CEO-SLNA
विकास आयुक्त कार्यालय,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

जलग्रहण परियोजनाओं हेतु गठित
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की पंचम् बैठक दिनांक 01/10/2012 का
कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01/10/2012 को मंत्रालय, रायपुर में कक्ष क्रमांक 208 में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की बैठक पूर्वान्ह 12.00 बजे प्रारंभ हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। **(परिशिष्ट–एक)**

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में SLNA के उपस्थित सदस्यों एवं क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर–मध्य (RRSC-C), नागपुर (इसरो) एवं CGCOST, रायपुर छ.ग. के विशेष आमंत्रित सदस्यों का परिचय प्राप्त करने के उपरांत मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

एजेण्डा क्रमांक–1: राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.10.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि ।

सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण दिनांक 20.10.2011 की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा क्रमांक–2: विगत बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा दिनांक 20.10.2011 की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

IWMP परियोजनांतर्गत विभिन्न स्तर पर स्वीकृत पदों में, नियुक्ति के संबंध में अवगत कराया गया कि परियोजनांतर्गत नवीन संविदा भर्ती प्रक्रिया के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में 22 याचिकाएं प्रस्तुत कर स्थगन लिया गया है, जिससे जिले में नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि, विद्वान महाधिवक्ता से अनुरोध किया जाये कि माननीय उच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुत समस्त याचिकाओं की बंचिंग हेतु एवं शीघ्र सुनवाई हेतु प्रयास करने का कष्ट करें।

एजेण्डा क्रमांक–3: संशोधित राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना, (State Perspective & Strategic Plan) का अनुमोदन।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के पैरा–25 के अनुसार, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) द्वारा अनुमोदित राज्य परिप्रेक्ष्यक एवं कार्यनीतिक योजना (SPSP) के अनुसार ही वाटरशेड परियोजनायें स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। राज्य के अनुपचारित जलग्रहण क्षेत्रों को आई.डब्ल्यु.एम.पी. परियोजना के अंतर्गत उपचार करने हेतु प्राथमिकता तय करने के लिये, भारत सरकार द्वारा 12 मापदंड निर्धारित किये गये है। इन मापदंडों के आधार पर, वर्ष 2009–10 में निर्मित SPSP में अपर्याप्त जानकारी के कारण राज्य में प्राथमिकता के अनुरुप परियोजनायें प्रस्तावित करना संभव नही हो रहा था। अतः राज्य में आगामी 15 वर्षो में ली जाने वाली IWMP परियोजनाओं के लिए नवीन संशोधित SPSP का निर्माण किया गया है। राज्य द्वारा इस दीर्घकालीन योजना के निर्माण में क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (RRSC), नागपुर एवं CGCOST के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर–मध्य (RRSC-C), नागपुर के विशेष आमंत्रित सदस्यों द्वारा नवीन SPSP के प्रस्तुतीकरण हेतु मुख्य सचिव से अनुमति चाही गई। मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति दिये जाने के उपरांत इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा पावर पाईंट प्रस्तुतीकरण दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मार्गदर्शी सिद्धांत–2008 के अनुसार रिमोट सेसिंग व सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग IWMP परियोजनाओं के निर्माण मे किया जाना है। जलग्रहण क्षेत्रों के प्राथमिकता का निर्धारण भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित 12 मापदण्डों (गरीबी का सूचकांक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, वास्तविक मजदूरी, लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत, भू–जल की स्थिति, नमी सूचकांक (डी.पी.ए.पी./आई.डब्ल्यू.डी.पी. ब्लॉक), वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र, पेयजल, विकृत भूमि, भूमि की उत्पादन क्षमता, पूर्व से उपचारित जलग्रहण क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र तथा प्रस्तावित परियोजना में माईक्रोवाटर शेड की कुल संख्या) के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। इस आधार पर जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार हेतु विकास खण्डों की प्राथमिकता का निर्धारण 10 मापदण्डों (पूर्व से उपचारित जलग्रहण क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र तथा प्रस्तावित परियोजना में माईक्रोवाटर शेड की कुल संख्या को छोड़कर) में अर्जित अंकों के आधार पर निम्न तीन श्रेणियों में किया गया है–

"A" श्रेणी– उच्च प्राथमिकता में लिये जाने वाले 31 विकास खण्ड

"B" श्रेणी– मध्यम प्राथमिकता में लिये जाने वाले 102 विकास खण्ड

"C" श्रेणी– निम्न प्राथमिकता में लिये जाने वाले 13 विकास खण्ड

तदोपरांत इन विकास खण्डों के प्रत्येक मिली जलग्रहण क्षेत्रों को भी उच्च, मध्यम और कम प्राथमिकता वाले श्रेणियों में विभक्त करने हेतु, नियत मापदण्ड में माइक्रोवाटर शेड की कुल संख्या को सम्मिलित कर 11 मापदण्डों में अर्जित अंको के आधार पर, प्रदेश के सभी मिली जलग्रहण क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया–

"A" श्रेणी– उच्च प्राथमिकता में लिये जाने वाले 908 मिली जलग्रहण क्षेत्र

"B" श्रेणी– मध्यम प्राथमिकता में लिये जाने वाले 1434 मिली जलग्रहण क्षेत्र

"C" श्रेणी– निम्न प्राथमिकता में लिये जाने वाले 7 मिली जलग्रहण क्षेत्र

नवीन SPSP में राज्य के 27 जिलों व 146 विकास खण्डों के मिलीवाटरशेड क्षेत्र हेतु निर्धारित प्राथमिकता श्रेणी का मानचित्र उपलब्ध है। प्रस्तुतीकरण में सेटेलाईट नक्शों के माध्यम से कोरबा, बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, विशेषकर वनों के आस–पास के क्षेत्रों में मृदा क्षरण की स्थितियों को दिखाया गया। मुख्य सचिव द्वारा वन क्षेत्रों में जलग्रहण योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी चाही गयी। CEO-SLNA द्वारा जानकारी दी गई कि समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 में दिनांक 11.10.2011 को जारी किये गये संशोधन अनुसार IWMP परियोजनाओं में उपचार हेतु वन क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतया वन विभाग एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की होगी। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, सचिव वन को वन क्षेत्रों में जलग्रहण योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में यथोचित निर्देश प्रसारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों को छोड़कर, अन्य सभी जिलों के लिये SPSP में, निर्धारित प्राथमिकता के अनुरुप ही भविष्य में परियोजनायें प्रस्तावित करना अनिवार्य होगा। वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में जिले के कलेक्टर द्वारा व्यवहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए परियोजनायें प्रस्तावित की

जा सकेंगी। भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये वर्ष 2012–13 में आई.डब्ल्यु.एम.पी. अंतर्गत 1.54 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार चर्चा उपरांत वर्ष 2012–13 के लिये नवीन SPSP में निर्धारित प्राथमिकता के अनुरूप ही परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–4: **IWMP परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिये क्षमता विकास एवं परियोजना मूल्यांकन कार्य हेतु संस्था/कन्सोर्टियम (Consortium) चयन का अनुमोदन।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि SLNA की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.10.2011 में एजेण्डा क्रमांक–9 पर लिये गये निर्णय अनुसार IWMP परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु संस्थाओं से EOI (अभिरूचि का प्रदर्शन) प्रस्ताव राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित किये गये। इसके अंतर्गत निम्न दो प्रकार के कार्यो को शामिल किया गयाः–

1. परियोजनाओं के मूल्यांकन कार्य
2. क्षमता विकास कार्य।

शासन से गठित राज्य स्तरीय चयन समिति ने संस्थाओं से प्राप्त EOI प्रस्तावों के मूल्यांकन उपरांत निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाली तीन संस्थाओं का प्रारंभिक चयन किया तथा इन चयनित संस्थाओं को LOI (letter of interest) भेजकर पृथक्–पृथक् वित्तीय एवं तकनीकी प्रस्ताव आमंत्रित किये गये।

नियत तिथि 11.05.2012 तक तीन संस्थाओं से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए। चयन समिति द्वारा LOI में दिये गये अर्हता मापदण्डों के अनुरूप मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन उपरांत पूर्व निर्धारित न्यूनतम 75 अंक प्राप्त करने वाली दो संस्थाएं क्रमशः WAPCOS Ltd. रायपुर एवं WASSAN Consortium, Secunderabad के वित्तीय प्रस्ताव को खोले जाने हेतु चयनित किया गया।

चयन समिति की बैठक दि.18.06.2012 को निम्नानुसार वित्तीय प्रस्ताव खोले गये :–

S.No	Name of Organization	Financial Proposal Amount (s) in Rs. for "Project Evaluation"	
		Cost of Secretariat per annum	Cost of evaluation of each IWMP project as percentage of the cost of treatment area of the project
1	WASSAN Consortium, Secunderabad	15,18,000.00	0.57%
2	WAPCOS Limited, Raipur	35,73,048.00	0.89%

S. No	Name of Organization	Financial Proposal Amount (s) in Rs. for "Capacity Development"	
		Cost of Secretariat per annum	Per day cost of Resources person (including stay and TA)
1	WASSAN Consortium, Secunderabad	18,86,000.00	5,000.00
2	WAPCOS Limited, Raipur	44,71,928.00	5243.47

WASSAN Consortium, Secunderabad को दोनों ही कार्यों के लिए तकनीकी मूल्यांकन में अधिक अंक प्राप्त होने तथा इसके द्वारा वित्तीय प्रस्ताव में न्यूनतम मूल्य प्रस्तावित किये जाने के कारण, चयन समिति द्वारा उनसे नेगोसियेशन किया गया। नेगोसियेशन में, WASSAN Consortium द्वारा दोनों कार्यों के लिए एक ही सचिवालय स्थापित करने पर सहमति प्रदान की गयी।

चयन समिति द्वारा परियोजनाओं के तीन चरणों में प्रतिहेक्टेयर परियोजना मूल्यांकन लागत, क्षमता विकास कार्य के लिए सचिवालय स्थापना एवं Resource Person के प्रतिदिवस लागत की निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:–

क्र.	मूल्यांकन कार्य का चरण	मूल्यांकन कार्य हेतु कुल परियोजना लागत का प्रस्तावित प्रतिशत (%)	प्रति हेक्टेयर परियोजना मूल्यांकन की अनुशंसित राशि (रू. में) सभी करों सहित
1	प्रारंभिक चरण	0.13	15.60
2	कार्य चरण	0.30	36.00
3	समेकन चरण	0.13	15.60

क्र.	क्षमता विकास कार्य का विवरण	लागत दर (रू. में)	रिमार्क
1	सचिवालय लागत (समन्वयक, अतिरिक्त समन्वयक व सहयोगी अमलों पर व्यय, प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण, संचार एवं स्थानीय परिवहन आदि पर व्यय, अन्य सभी करों सहित)	18,86,000/- प्रतिवर्ष	1. क्षमता विकास समन्वयक एवं सहायक अमलों तथा Modules and IEC सामग्री का निर्माण व स्थानीय यात्रा व संचार कार्य पर होने वाला प्रतिवर्ष लागत 2. क्षमता विकास समन्वयक को राज्य में कार्य से संबंधित यात्रा पर राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समतुल्य यात्रा व्यय की पात्रता होगी। 3. क्षमता विकास समन्वयक को कार्य से संबंधित राज्य की सीमा में यात्रा किये जाने पर राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी (ग्रेड–पे 7600) के समतुल्य DA की

			पात्रता होगी। 4. क्षमता विकास समन्वयक को कार्य से संबंधित मुख्यालय रायपुर यात्रा का व्यय कन्सलटेंट संस्था द्वारा वहन किया जावेगा। किंतु यदि राज्य की सीमा में अन्य बाहर स्थानों पर यात्रा की जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति बिंदु क्रमांक–2 अनुसार देय होगी।
2	Per day cost of resource person (including stay and TA & Taxes)	5,000/-	राज्य की परियोजनाओं में क्षमता विकास की आवश्यकता के आधार पर कार्य दिवसों की संख्या का निर्धारण। रिसोर्स परसन को राज्य में कार्य से संबंधित यात्रा पर, राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समतुल्य यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा जानकारी दी गई कि समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 अनुसार IWMP परियोजनाओं के क्षमता विकास कार्य एवं परियोजना मूल्यांकन कार्य हेतु कुल परियोजना लागत की क्रमशः पांच प्रतिशत एवं एक प्रतिशत राशि का प्रावधान है, जिसमें केंद्र एवं राज्य का अनुपात 90:10 है। चयन समिति की अनुशंसा पर, राज्य में IWMP परियोजनाओं में क्षमता विकास एवं परियोजनाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु WASSAN Consortium, Secunderabad को चयनित करने का प्रशासकीय अनुमोदन माननीय विभागीय मंत्रीजी से भी प्राप्त कर लिया गया है। यह अनुबंध तीन वर्षो के लिए किया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि क्षमता विकास का मूल्यांकन किसी अन्य संस्थान से कराया जाना उपयुक्त होगा, क्योंकि परियोजना के मूल्यांकन में क्षमता विकास का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। यह दोनो कार्य एक ही संस्थान द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव उचित नहीं है। तत्संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सदस्यों से चर्चा उपरांत परियोजना मूल्यांकन कार्य में से क्षमता विकास कार्य का मूल्यांकन ठा.प्या.पं एवं ग्रा. वि.सं., छ.ग. के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये। इस हेतु राज्य में IWMP परियोजनाओं में क्षमता विकास का कार्य, चयन समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी तरह, IWMP परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य Watershed Support Services and Activities Network (WASSAN) Consortium, Secunderabad के द्वारा, चयन समिति की अनुशंसित दरों पर कराने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी। परंतु इस संबंध में भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही WASSAN से अनुबंध करने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा क्रमांक–5: प्रि–हरियाली, हरियाली परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु संस्थाओं का चयन।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि प्रि–हरियाली एवं हरियाली परियोजनाओं के मध्यावधि व अंतिम मूल्यांकन हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु 10 शासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं एवं 08 विषय विशेषज्ञों की सूची अनुमोदित है। भारत सरकार के निर्देशानुसार हरियाली परियोजनाओं को दिसंबर 2012 तक पूर्ण किया जाना है। विगत बैठक दिनांक 20.10.2011 में परियोजना मूल्यांकन कार्य को समय–सीमा में पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त संस्थाओं को पैनल में शामिल किये जाने का निर्णय के परिपालन में SLNA द्वारा संवाद के माध्यम से, समाचार पत्रों में EOI का विज्ञापन प्रकाशित कराकर इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित की गई।

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्थाओं से प्राप्त EOI के मूल्यांकन उपरांत, निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाली,निम्न दो संस्थाओं के नाम का चयन किया गया :–

1. भोपाल युवा पर्यावरण शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान (बायपास), भोपाल
2. वाटर एंड पावर कन्सलटेंट लिमिटेड (वाप्कोस), रायपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा बताया गया कि संस्थाओं को मूल्यांकन कार्य हेतु सूचीबद्ध किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन मान. विभागीय मंत्रीजी से दिनांक 23.07.2012 को प्राप्त कर लिया गया है। अतः प्रि–हरियाली एवं हरियाली परियोजनाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु उक्त संस्थाओं को पैनल में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। SLNA से अनुमोदन उपरांत उक्त संस्थानों का नाम, सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा। चर्चा उपरांत मुख्य सचिव की सहमति पर सर्वानुमति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–6: IWMP अंतर्गत वर्ष 2012–13 से स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं में वाटरशेड समिति को ग्राम पंचायतों की उपसमिति विषयक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि भारत शासन द्वारा वर्ष 2012 में महात्मा गांधी नरेगा में किये गये संशोधन अनुसार, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित लगभग सभी कार्यों को, इस योजना के अन्तर्गत लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत एवं वाटरशेड कमेटी द्वारा एक ही प्रकार के कार्य कराने से, दोनों संस्थाओं के मध्य द्वंद की स्थिति बन सकती है। वर्तमान में, जलग्रहण परियोजनाओं के समाप्ति उपरांत, परियोजना अन्तर्गत सृजित परिसम्पतियों को, रख–रखाव हेतु ग्राम पंचायतों को ही हस्तांतरित किया जाता है। अतः IWMP परियोजनाओं का संचालन भी ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाना उपयुक्त होगा। भूमि संसाधन विभाग, भारत शासन द्वारा दिनांक 11.10.2011 को समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के पैरा–44 में किये गये संशोधन अनुसार वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जा सकेगा और यह समिति ग्राम पंचायत की उपसमिति होगी। ऐसी स्थिति में वाटरशेड समिति को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा केरल जैसे राज्यों में जलग्रहण समिति को ग्राम पंचायत के उपसमिति के रूप में गठित किया गया है।

परियोजनाओं में प्रस्तावित प्रशासकीय व्यवस्था– IWMP परियोजनाओं के चिन्हांकित माइक्रोवाटरशेड क्षेत्र में वाटरशेड समिति, ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों के समूह की एक उपसमिति होगी। इस प्रकार गठित वाटरशेड समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। वाटरशेड समिति में ग्राम के स्वसहायता समूहों एवं भूमिहीन व्यक्तियों के एक–एक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस वाटरशेड समिति का एक स्वतंत्र मानदेयी सचिव होगा, जो पंचायत सचिव से भिन्न एवं पृथक होगा। वह एक समर्पित कार्यकर्ता होगा, जिसके पास वाटरशेड समिति की सहायता करने के अलावा अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

IWMP अन्तर्गत वर्ष 2012–13 की अवधि एवं उसके बाद स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं के लिए, अलग–अलग शासकीय परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) के स्थान पर संबंधित जिला पंचायत को, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। नये जिलों में जिला पंचायत गठित होने तक जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र (WCDC), परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) का कार्य निष्पादित करेगी। स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA)–जिला पंचायत द्वारा मिलीवाटरशेड परियोजना हेतु नियुक्त टीम लीडर द्वारा वाटरशेड विकास दल (WDT) सदस्यों के सहयोग से किया जायेगा।

परियोजनाओं में प्रस्तावित वित्तीय प्रक्रिया (Fund Flow)– किसी परियोजना के लिए बनाये गये डी.पी.आर. में प्रस्तावित प्रशासनिक व्यय, क्षमता वृद्धि, डी.पी.आर. निर्माण तथा अनुश्रवण गतिविधियों के लिए आवश्यक राशि संबंधित परियोजना के टीम लीडर को प्राप्त होगी। इस हेतु परियोजना के टीम लीडर तथा एक WDT सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर, से बैंक खाते का संचालन अनिवार्य होगा।

वाटरशेड समिति को, परियोजना के लिए निर्मित डी.पी.आर. एवं वार्षिक कार्ययोजना में वर्णित गतिविधियों यथा आस्थामूलक कार्यों, जलग्रहण कार्यो, आजीविका एवं उत्पादन प्रक्रिया तथा सूक्ष्म उद्यम से संबंधित गतिविधियों के लिए राशि, सीधे WCDC से प्राप्त होगी। वाटरशेड परियोजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली राशि के लिए वाटरशेड समिति का एक पृथक बैंक खाता होगा, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव वाटरशेड समिति,संयुक्त हस्ताक्षरी होंगे।

क्र.	वित्तीय प्रवाह	गतिविधियां
1	WCDC से Team leader	डी.पी.आर. में प्रस्तावित आवश्यक प्रशासनिक व्यय, क्षमतावर्धन, डी.पी.आर. निर्माण, WDT सदस्यों के वेतन संबंधी व्यय तथा अनुश्रवण गतिविधियॉ
2	WCDC से WC	आस्थामूलक कार्य, जलग्रहण विकास कार्य, क्षमतावर्धन, आजीविका एवं उत्पादन प्रक्रिया, सूक्ष्म उद्यम से संबंधित गतिविधियॉ, वाटरशेड समिति के सचिव के मानदेय संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

मुख्य सचिव द्वारा जलग्रहण योजनाओं के क्रियान्वयन में वन विभाग को शामिल किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये। अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा प्रश्न किया गया कि जलग्रहण योजनाओं के कार्यों एवं महात्मा गांधी नरेगा के कार्यो में एकरूपता होने के कारण दोहराव की संभावना को किस तरह दूर किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा जानकारी दी गई कि IWMP

परियोजनाओं में किये जाने वाले कार्यों हेतु माइक्रो वाटरशेडवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) बनायी जाती है, जिसके आधार पर ही परियोजना अवधि में कार्य लिये जाते है। उक्त स्थिति में महात्मा गांधी नरेगा व जलग्रहण कार्यों में दोहराव की संभावना नहीं होगी। मुख्य सचिव द्वारा परियोजना प्रतिवेदनों की उपलब्धता सभी संबंधित पंचायतों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के कृषि समिति से ही वाटरशेड समिति का कार्य कराये जाने के सुझाव पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि संशोधित समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत को ही वाटरशेड समिति (ग्राम पंचायत की उपसमिति) का अध्यक्ष बनाया जाना है। वर्तमान व्यवस्था में ग्राम पंचायत की कृषि समिति के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के चुने हुए पंच होते है।

चर्चा उपरांत मुख्य सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की उपसमिति (वाटरशेड समिति) में ग्राम पंचायत के कृषि समिति के अध्यक्ष को भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाने के निर्देश दिये गये एवं तद्नुसार बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

इस क्रम में, मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि, ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाली सभी विभागों की योजनाओं का अभिसरण, अनिवार्यतः किया जावे एवं इसे जलग्रहण प्रबंधन अनुरूप क्रियान्वित की जाए।

एजेण्डा क्रमांक–7: जलग्रहण परियोजनाओं की प्रगति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा राज्य में अगस्त 2012 की स्थिति में संचालित एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP), एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP) एवं सूखा उन्मूख क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP) का जिलेवार प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। यह अवगत कराया गया कि परियोजना स्तर पर अमलों की भर्ती प्रक्रिया के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिलेवार समीक्षा के उपरांत मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि राजनांदगांव, धमतरी तथा कबीरधाम जैसे जिले जिनमें जलग्रहण योजनाओं की प्रगति धीमी है, ऐसे जिलों के परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक राज्य स्तर पर आयोजित की जावे। साथ ही, ऐसे परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी जो कार्य में रूचि नहीं ले रहे है, उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जावे।

मुख्य सचिव द्वारा रिमोट सेसिंग के आधार पर पूर्ण IWDP/DPAP परियोजनाओं के मूल्यांकन के सम्भावना के संबंध में RRSC के महाप्रबंधक से जानकारी चाही गयी। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके संस्थान में गत वर्षों के सेटेलाइट नक्शें उपलब्ध है, इसलिए परियोजना क्रियान्वयन के परिणामों का विश्लेषण वर्तमान नक्शों से तुलना कर किया जा सकता है। महानिदेशक, CGCOST द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यह कार्य उनके संस्थान के पास उपलब्ध बजट से कराया जा सकता है। मुख्य सचिव द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले की एक पूर्ण IWDP/DPAP परियोजना का मूल्यांकन CGCOST द्वारा कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया। भविष्य में, सेटेलाइट नक्शों की मदद से IWMP परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा सके, इस हेतु भी वांछित तैयारी करने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा क्रमांक–8: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को एस.एल.एन.ए. के सदस्य बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मुख्य सचिव की सहमति से बैठक में अनुमोदित किया गया।

अंत में, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ, मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(मुख्य सचिव, छ.ग. शासन सह अध्यक्ष SLNA द्वारा अनुमोदित)

8/x/12

(आर.के. सिंह)
CEO-SLNA
विकास आयुक्त कार्यालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(परिशिष्ट–1)

जलग्रहण परियोजनांतर्गत
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की पंचम् बैठक दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	उपस्थित अधिकारी का नाम/पदनाम
1	श्री सुनील कुमार, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सह अध्यक्ष SLNA
2	श्री विवेक ढाँड, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सह सचिव SLNA
3	श्री डी.एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग सह सदस्य SLNA
4	श्री एम.के.असवाल, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग सह सदस्य SLNA
5	डॉ. बी.एस. अनन्त, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग सह सदस्य SLNA
6	श्री एच.पी. किन्डो, विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन सह सदस्य SLNA
7	श्री देवाशीष दास, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य SLNA
8	श्री युनुस अली, आयुक्त, पंचायत सह सदस्य SLNA
9	डॉ. एस.पाल, सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड सह सदस्य SLNA
10	श्री ओ.एन. तिवारी, वैज्ञानिक "डी", केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सह सदस्य SLNA
11	डॉ. आर.एन. शर्मा, सहायक संचालक, अनुसंधान सेवाऐं, इं.गा.कृ.वि.वि. सह सदस्य SLNA
12	डॉ. ए.एल. राठौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इं.गा.कृ.वि.वि. सह सदस्य SLNA
13	श्री अशोक कुमार जोशी, महाप्रबंधक क्षेत्रीय रिमोट सेसिंग सेंटर–मध्य, नागपुर (इसरो)
14	डॉ. एस.एन. दास, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय रिमोट सेसिंग सेंटर–मध्य, नागपुर (इसरो)
15	प्रो. एम.एम. हम्बर्डे, महानिदेशक, CGCOST रायपुर
16	श्री प्रशांत कविश्वर, वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक, CGCOST रायपुर
16	श्री खालिद अंसारी, सहायक प्रबंधक नाबार्ड, रायपुर, छ.ग.
17	डॉ. आर.के. सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA